provide for any special responsibility of the Governor for—

(a) the establishment of separate development boards for Vidarbha, Marathwada, (and the rest of Maharashtra or, as the case may be,) Saurashtra, Kutch and the rest of Gujarat with the provision that a report on the working of each of these boards will be placed each year before the State Legislative Assembly.

The special development board previously was granted by the Central Government to the Kutch area but it was cancelled after some years by the Central Government. Recently, the Central Government has declared a development board for the Marathwada region. The long standing demand of the people of Kutch for the development board is pending with the Central Government. We demand that our special development board should be headed by the Chief Minister and not by the Governor because the Chief Minister is answerable to the Legislative Assembly. Secondly, Madam, our board should be provided with sufficient funds by the Central Government. Thirdly, Madam, our board should have the provision of proper services of the Central Government as well as the State Government. Lastly, we demand that there must be technical institutions in Kutch area and a technical college should be provided in our area. This has been our demand since long but still it has not been provided to this area. Our area is a backward area. It is situated on border and that is why, this provision has been made in the Constitution and our demand must be fulfilled. So I request the Central Government through this House, to fulfil our demand.

SHRI DINESHBAI TRIVEDI (Gujarat): I associate myself with the sentiments expressed by the hon. Member.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE (Maharashtra): If it is Kutch, I also associate.

Need To Grant 'Class B-2' Status To Bikaner

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : माननीय उपसभापति महोदया, मैं इस विशेष उल्लेख के जरिये सरकार का ध्यान बीकानेर वासियों की लम्बे अरसे से उपेक्षित एक मांग की ओर दिलाना चाहती हूं ।

बीकानेर वासी लम्बे अरसे से यह मांग करते रहे हैं कि उनके शहर को बी-2 श्रेणी में वर्गीकृत किया जाए । गत 18 अगस्त से फिर उन्होंने इस मांग को लेकर आन्दोलन शुरू कर दिया है । महोदया, मेरी जानकारी के अनुसार नगरों के वर्गीकरण के जो स्वीकृत मापदण्ड हैं, बीकानेर नगर उनके अनुसार बी-2 श्रेणी में पड़ता है ।

नगरों के वर्गीकरण के मौजूदा मापदण्ड के अनुसार बी-2 श्रेणी में पड़ने वाले नगरों की आबादी 4 लाख से 8 लाख के अन्दर होनी चाहिए । बीकानेर जिला सांख्यिकी की रूपरेखा सन् 1983 से यह पता चलता है कि बीकानेर नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या 4,49,870 सन् 1981-82 में ही हो गयी थी । 1981 की जनसंख्या को आधार मान कर यदि जन्म दर वृद्धि तथा आवासीय बस्तियों और सैनिकों की आबादी के आधार पर हिसाब लगाने से यह पता चलता है कि इस शहर की आबादी 6 लाख के करीब हो गयी है ।

सन् 1981 की जनगणना के बाद इसी बीच देश के कई नगरों की श्रेणी में परिवर्तन किया गया है । राजस्थान में ही बूंदी और अजमेर की श्रेणियां बढ़ायी जा चुकी हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश में अमरोली, बरेली, सुलतानपुर, मध्य प्रदेश होशंगाबाद केरल में शिवाकाशी आदि नगरों की श्रेणी में वृद्धि की जा चुकी है । अब फिर आखिर बीकानेर को ही क्यों उसके वाजिब हक से वंचित रखा जा रहा है ?

राजस्थान सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार से बीकानेर को बी-2 श्रेणी का शहर घोषित करने की अनुशंसा की है ।

महोदया, वह शहर सुदूर रेगिस्तान इलाके में बसा एक ऐतिहासिक महत्व का शहर रहा है। दुनियां के रेगिस्तानी इलाकों में बसे हुए किसी भी शहर की तुलना में वह कम बड़ा शहर नहीं है। इसके अलावा यह सेना का भी मुख्यालय है। एक मोटे अनुमान के अनुसार यहां 75 हजार से 1 लाख के करीब सैनिक निवास करते हैं।

पर्यटन और धार्मिक दोनों ही दृष्टियों से इस शहर का अत्यंत महत्व रहा है। आधुनिक साहित्य और संस्कृति की दृष्टि से इसे राजस्थान की सांस्कृतिक नगरी कहा जाता है।

इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए तथा खास तौर पर आबादी में हुई वृद्धि और बी 2 श्रेणी की सुविधा प्राप्त करने के बीकानेर शहर के न्यायिक हक को समझते हुए सरकार से वह अपील करना चाहूंगी कि बिना विलम्ब किये बीकानेर को बी 2 श्रेणी का शहर घोषित करें।

लगभग दो दशकों से बीकानेर विश्वविद्यालय की मांग के लिए एक आंदोलन चलता रहा है। वहां की राज्य सरकार ने हमेशा इस आंदोलन को अपनी दमन की शक्ति के बल पर कुचला है। राज्य सरकार की यह वंचना तो यूं ही, ऊपर से केन्द्रीय सरकार की वंचना के चलते वहां का जन-जीवन और भी दूभर होता जा रहा है।

इसीलिए मैं पुनः वह अपील करूंगी कि अविलम्ब बीकानेर को बी 2 श्रेणी का शहर घोषित करके वहां के मजदूरों और कर्मचारियों के प्रति न्याय किया जाए। धन्यवाद।

SHRI GAJ SINGH (Rajasthan): Madam, I associate.

Floods in River Ghagra in Uttar Pradesh

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश): महोदया, मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और मऊ जनपद में घाघारा नदी की बाढ़ और कटाव से उत्पन्न विनाश लीला की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदया, स्थिति इतनी भीषण हो गई है कि दोहरी घाट से लेकर गढ़वाल तक करीब सौ किलोमीटर के क्षेत्र में घाघारा के किनारे की सारी फसल, हजारों एकड़ जमीन जो लहलहाती हुई फसल से युक्त थी, वह बर्बाद हो गई। गंगा की धारा में सारी फसल विलीन हो गई, जमीन चली गई इतना ही होता, तो कोई बात नहीं थी, लेकिन 25 गांव, जिसके किनारे की सारी कटान से घाघारा नदी की धारा में इस तरह से विलीन हो गये हैं कि उनका अस्तित्व नहीं रह गया है। उन गांवों में रोशनगंज है, उदिया है, हैदराबाद है, बसंतपुर है, परसिया है, यह सारे गांव आते हैं। वह सारे लोग निराश्रित हो गये हैं, कोई सहारा नहीं रह गया है।

इस समय स्थिति यह बन गई है कि दोहरी घाट एक पुराना कस्बा है--जो घाघरा नदी के किनारे ही यहां से सभी तिजारत हुआ करती थी, नाव के जरिए, वह टाऊन एरिया अब म्यूनिसिपल बोर्ड बन गया है--वह भी खतरे में है। उस कस्बे के भी करीब बीस घर कटाव से नदी में चले गये ने। लेकिन सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था, तो निराश्रितों की, जोकि परसिया से लेकर के गढ़वाल तक सौ किलोमीटर की दूरी पर वहां पर पड़े हुए हैं, उनको कोई देखने भालने वाला नहीं है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि जब यहां पर इतने बड़े पैमाने पर कटाव हो रहा है, दोहरी घाट जैसा मशहूर कस्बा जो आज कटाव की स्थिति में आ गया है, वहां के बीस घर जो नदी की धारा में विलीन हो गये हैं--मेरा सरकार से आपके माध्यम से आग्रह है कि सरकार विशेषज्ञों की एक टीम भेजे, जो वहां जाकर उस कटाव से उत्पन्न स्थिति का सामना युद्ध स्तर पर